Memorandum of Understanding

Between

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
HAMIRPUR-177005 (HP)

and

CSIR-CSIO

CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION
CHANDIGARH-160030

This Memorandum of Understanding (MoU) is entered into on the **11th day of November 2019** between:

National Institute of Technology, Hamirpur (hereinafter referred to as "NITH") represented by the Director, having its office at National Institute of Technology, Hamirpur-177005 (HP)

AND

CSIR - Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh (hereinafter referred to as "CSIR-CSIO"), a constituent laboratory of Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) represented by the Director having its office at Sector-30, Chandigarh - 160 030

To promote Academic and Research Co-operation between the two Institutions.

1. **Objectives**
 - CSIR-CSIO and NITH will undertake joint research work in the areas of mutual interest.
 - The concerned scientists of CSIR-CSIO and corresponding faculty members of NITH will formulate research projects and HRD plans for joint work with due approval of both the participating Institutions.
 - Impart training to staff, students and technical personnel within the areas of co-operation.
 - Joint sponsored and consultancy projects could be undertaken, with both long term and short term goals, keeping in view the interests and philosophies of the respective Institutions.

2. **Exchange / Deputation of Scientists/faculty**

 Both CSIR-CSIO and NITH jointly agree:
 - To exchange staff through deputation on full-time/part-time basis for a limited period and up to one year at a time for the purpose of implementation of joint tasks within the areas of co-operation.
 - Staff Members on such deputation shall be deemed to be on duty with the parent organization for the said period.
 - That the faculty/scientists and research fellows registered for Ph.D. degree may visit other Institution for a short period in connection with their research work. They shall be deemed to be on duty with the parent organization for the said period.
 - That the technical personnel deputed for training shall be deemed to be on duty with the parent organization for the period of training.
 - That faculty/scientists will be encouraged to deliver lectures/talks at the other Institution. TA/DA and honorarium for the lectures/talks shall be borne by the host Institution.
 - Faculty of NITH may submit the research proposals with CSIR-CSIO scientists

under promoting Innovation in Individuals, Start-Ups and MSMEs (PRISM) scheme of CSIR-CSIO, etc.

3. Joint conferences / workshops / courses

Both CSIR-CSIO and NITH agree:

- To hold/conduct, whenever feasible, joint workshops, conferences, training courses within the areas of co-operation.
- That the host Institution shall provide accommodation to the participating members from the visiting Institute wherever feasible at special minimum rates applicable to research and academic institution.

4. Sharing of Facilities

- The two Institutions agree to share their respective important R&D facilities in order to promote academic and research interactions in the areas of co-operation to intensify the high priority area programmes of science and technology. The charges of facility usage shall be applicable which shall be decided jointly by CSIR-CSIO and NITH on case to case basis through separate proposals as per UGC/DST/DSIR/DRDO/CSIR guidelines.
- The two Institutions agree to exchange software, other materials and components developed in-house in the areas of co-operation, if advisable within the framed rules governing the two Institutes.
- Access to laboratories, library and other supporting facilities for the students of B.Tech. M.Tech. and Ph.D. programmes in the areas of mutual interests and staff/scientists working at either of the two Institutions will be provided by both Institutions.

5. Project Work of Students

Selected students of B.Tech and M.Tech in the respective areas of specialization of NIT Hamirpur will be allowed for project work at CSIR-CSIO. The students will work in the areas of mutually agreeable divisions by both Institutions. The training charges shall be applicable as per CSIR-CSIO norms.

6. Ph.D. Registration

- Scientists of CSIR-CSIO may be registered for Ph.D. programme at NITH as per the provisions made in the Ph.D. ordinance of the Institute for R & D organizations.
- There shall be provision for joint supervision with appropriate staff of CSIR-CSIO and NITH in conformity with the rules and norms for Ph.D. research guidelines at NITH.

7. Areas of Co-operation

The areas of co-operation will be defined and modified from time to time by the

coordination Committee set up for the purpose.

The coordinator from CSIR-CSIO for each identified area of co-operation shall be the Head, BIPP at CSIR-CSIO Chandigarh.

The coordinator from NIT Hamirpur for each identified area of co-operation shall be the Dean research and Consultancy at NITH.

8. Co-ordination Committee

- The following will constitute the Coordination Committee to monitor and review the collaborative programmes between the two Institutions:
 a) Director, NITH or his nominee
 b) Director, CSIR-CSIO or his nominee(s)
 c) Coordinators from NITH & CSIR-CSIO
- The Coordination Committee shall:
 - Review the progress of the identified programs (at least once in a year)
 - Consider the new R&D proposals for joint collaboration and implementation on case to case basis including IPR and financial arrangement.
 - Consider the addition/deletion of areas of co-operation between the two Institutions during review.
 - Consider the continuance of the MoU.

9. Publications and Patents

- All publications in the programmes of co-operation will be co-authored by the concerned staff / Research fellow of CSIR-CSIO and the faculty of NITH.
- CSIR-CSIO & NITH will be the joint holders of the Intellectual Property Right(IPR)/Patents flowing out of joint work. For IPR generated due to the individual work of NITH or CSIR-CSIO shall be the property of that Institute.

10. Non Disclosures

In case of joint research and consultancy projects undertaken by CSIR-CSIO and NITH, no party will disclose any part of investigation to media in any form without mutual consent.

11. Validity & Period

- This MoU shall be valid for a period of five years from the date of signing.
- At the end of validity period of the MoU, a fresh MoU with similar/ modified terms may be considered for signing.

12. Termination

Either party may terminate the MoU in advance of its normal expiration by providing the other with six-month written notice subject to fulfillment of

commitments already agreed upon Provisions of this MoU shall continue to apply to ongoing activities until their completion. Any disputes arising out of this MoU will be settled by mutual negotiations between the parties.

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Memorandum of Understanding at Chandigarh on the **11th day of November 2019**. It has been executed in two originals; one has been retained by CSIR-CSIO and the other by NITH.

11/11/2019

(Prof. R. K. Sinha)
Director
CSIR-CSIO Chandigarh

निदेशक
Director
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
Central Scientific Instruments Organisation
सेक्टर 30, चण्डीगढ़-160 030
Sector 30, Chandigarh-160 030

11/11/2019

(Dr. Raman Parti)
Dean (Research & Consultancy)
NIT Hamirpur

अधिष्ठाता (शोध और परामर्श)
रा० प्रौ० सं० हमीरपुर (हि.प्र.)
Dean (Research & Consultancy)
NIT Hamirpur (H.P.) - 177005

Witnesses:

1. _____ 11/11/19
CSIR-CSIO Chandigarh

1. _____
(Prof Rakesh Sehgal)
NIT ~~Hamirpur~~ Srinagar

2. _____ 11.11.19
Surender S Saini
CSIR-CSIO Chandigarh

2. _____ 11.11.19
Dinesh Khanduja
Professor (Mechanical)
NIT ~~Hamirpur~~ Kurukshetra

Date: 11.11.2019
Place: Chandigarh

यह **समझौता ज्ञापन (एमओयू) 11 नवम्बर, 2019 को निम्न के बीच हुआ :**

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर जिसका प्रतिनिधित्व उनके निदेशक कर रहे हैं तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर-177005, (हिमाचल प्रदेश) में है (यहां इसके बाद इसे 'एनआईटीएच' कहा जाएगा)

तथा

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय सैक्टर-30सी, चण्डीगढ़ में है (यहां इसके बाद इसे 'सीएसआईआर-सीएसआईओ' कहा जाएगा)

दोनों संस्थानों के बीच शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।

1. **उद्देश्य**
 - सीएसआईआर-सीएसआईओ एवं एनआईटीएच परस्पर रुचि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्य प्रारंभ करेंगे।
 - सीएसआईआर-सीएसआईओ के संबंधित वैज्ञानिक तथा एनआईटीएच के समकक्ष संकाय सदस्य दोनों प्रतिभागी संस्थानों के विधिवत् अनुमोदन से संयुक्त कार्य के लिए अनुसंधान परियोजनाएं और मानव संसाधन विकास योजनाएं तैयार करेंगे।
 - परस्पर सहयोग के क्षेत्रों में स्टाफ, विद्यार्थियों और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - संबंधित संस्थानों की रुचियों और नीतियों को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि एवं लघु अवधि के लक्ष्यों के साथ संयुक्त प्रायोजित एवं परामर्शी परियोजनाएं प्रारंभ की जा सकेंगी।

2. **वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों का विनिमय/प्रतिनियुक्ति**

 सीएसआईआर-सीएसआईओ और एनआईटीएच दोनों निम्न पर सहमत हैं:
 - सहयोग के क्षेत्रों में संयुक्त कार्य करने के लिए सीमित समय के लिए तथा एक बार में एक वर्ष तक के लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर प्रतिनियुक्तियों के माध्यम से स्टाफ को विनिमय।
 - इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान स्टाफ सदस्य पैतृक संस्थान की ड्यूटी पर माने जाएंगे।
 - पीएच.डी. के लिए पंजीकृत संकाय/वैज्ञानिक एवं अनुसंधान अध्येता अपने अनुसंधान कार्य के लिए लघु अवधि के लिए अन्य संस्थान का दौरा कर सकते हैं। इस अवधि के लिए वे अपने पैतृक संगठन की ड्यूटी पर माने जाएंगे।
 - प्रशिक्षण के लिए तैनात किए गए तकनीकी कार्मिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पैतृक संगठन की ड्यूटी पर माने जाएंगे।
 - संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों को एक-दूसरे के संस्थानों में व्याख्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्याख्यान हेतु दिया जाने वाला टीए/डीए और मानेदय व्याख्यान आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा दिया जाएगा।

3. **संयुक्त सम्मेलन/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम**

सीएसआईआर-सीएसआईओ और एनआईटीएच दोनों निम्न पर सहमत हैं:

- सहयोग के क्षेत्रों में, जहां भी व्यवहार्य हो, संयुक्त रूप से कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित की जाएंगे।
- कार्यक्रम आयोजित करने वाला संस्थान प्रतिभागी संस्थान के सदस्यों के लिए, जहां भी व्यवहार्य हो, अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों के लिए लागू न्यूनतम दरों पर आवास उपलब्ध करवाएगा।

4. **सुविधाओं को सांझा करना**

- दोनों संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के क्षेत्रों में शैक्षिक और अनुसंधान विचार-विमर्श के संवर्धन के लिए अपनी महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं सांझा करने के लिए सहमत है। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शुल्क लागू होंगे तथा इनका निर्धारण यूजीसी/डीएसटी/डीएसआईआर/डीआरडीओ/सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मामले के अुनसार अलग-अलग प्रस्तावों से सीएसआईआर-सीएसआईओ तथ एनआईटीएच द्वारा किया जाएगा।
- दोनों संस्थान घरेलू स्तर पर विकसित सॉफ्टवेयर, अन्य सामग्रियों और संघटकों का, दोनों संस्थानों को शासित करने वाले मार्गदर्शी नियमों और शुल्क के अनुसार विनिमय करने वार सहमत हैं।
- परस्पर रुचि के क्षेत्रों में संयुक्त पर्यवेक्षण में एम.टैक. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के विद्यार्थियों और एनआईटीएच और सीएसआईआर-सीएसआईओ में सामान्यत: तैनात पहले से पंजीकृत सीमित संख्या के पीएच.डी. विद्यार्थियों को प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अन्य सहायक सुविधाएं दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाएंगी।

5. **विद्यार्थियों के परियोजना कार्य**

एनआईटीएच की विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों के बी.टैक. एवं एम.टैक. के चयनित विद्यार्थियों को सीएसआईआर-सीएसआईओ में परियोजना कार्य करने की अनुमति होगी। विद्यार्थी दोनों संस्थानों की परस्पर सहमति के क्षेत्रों से संबंधित प्रभागों में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण शुल्क सीएसआईआर-सीएसआईओ के नियमानुसार लागू होंगे।

6. **पीएच. डी. पंजीकरण**

- सीएसआईआर-सीएसआईओ के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए निर्मित पीएच.डी. अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार एनआईटीएच में पीएच.डी. कार्यक्रमों में पंजीकृत हो सकेंगे।
- एनआईटीएच के पीएच.डी. अनुसंधान दिशानिर्देशों के नियमों एवं मानकों के अनुरूप सीएसआईआर-सीएसआईओ और एनआईटीएच के उपयुक्त स्टाफ के साथ संयुक्त मार्गनिर्देशन का प्रावधान होगा।

7. **सहयोग के क्षेत्र**

सहयोग के क्षेत्रों को इस बाबत गठित समन्वय समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित और संशोधित किया जाएगा।

सहयोग के प्रत्येक चिह्नित क्षेत्र के लिए सीएसआईआर-सीएसआईओ की ओर से समन्वयक प्रभारी, बिप्प, सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़ होंगे।

सहयोग के प्रत्येक चिह्नित क्षेत्र के लिए एनआईटीएच की ओर से समन्वयक डीन, रिसर्च एंड कन्सल्टेंसी होंगे।

8. **समन्वयन समिति**

- दोनों संस्थानों के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा के लिए समन्वयन समिति निम्नानुसार होगी :
 - क) निदेशक, एनआईटीएच अथवा उनके नामिती
 - ख) निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ अथवा उनके नामिती
 - ग) एनआईटीएच और सीएसआईआर-सीएसआईओ से समन्वयक

- समन्वयन समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :
 - ➢ चिह्नित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा (वर्ष में न्यूनतम एक बार)
 - ➢ संयुक्त सहयोग और कार्यान्वयन के लिए विषय के आधार पर आईपीआर और वित्त प्रबंध सहित नवीन अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों पर विचार करना
 - ➢ समीक्षा के दौरान दोनों संस्थानों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में को बढ़ाने/घटाने पर विचार करना
 - ➢ एमओयू को जारी रखने पर विचार करना।

9. **प्रकाशन एवं पेटेण्ट**

- सहयोग के कार्यक्रमों के समस्त प्रकाशनों में सीएसआईआर-सीएसआईओ के संबंधित स्टाफ/अनुसंधान अध्येता तथा एनआईटीएच के संकाय सदस्य सह-लेखक होंगे।
- सीएसआईआर-सीएसआईओ और एनआईटीएच संयुक्त कार्य से सृजित आईपीआर/पेटेण्टों के संयुक्त धारक होंगे। एनआईटीएच अथवा सीएसआईआर-सीएसआईओ के व्यक्तिगत कार्य से सृजित आईपीआर संबंधित संस्थान की संपत्ति होंगे।

10. **अप्रकटन**

सीएसआईआर-सीएसआईओ और एनआईटीएच द्वारा किए गए संयुक्त अनुसंधान एवं परामर्शी परियोजनाओं के मामले में, कोई भी पार्टी बिना आपसी सहमति के किसी भी अन्वेषण कार्य को किसी भी रूप में मीडिया को नहीं देगी।

11. **वैधता एवं अवधि**

- यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।
- एमओयू की वैधता अवधि के समाप्त होने पर, समान/संशोधित शर्तों के साथ नया एमओयू किया जा सकता है।

12. समाप्ति

समझौते की अवधि की सामान्य अवधि पूरा होने से पूर्व कोई भी पार्टी अन्य पार्टी को छह माह का लिखित नोटिस देकर, किंतु पूर्व सहमति की प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए, इस समझौते को समाप्त कर सकती है। इस एमओयू के प्रावधान जारी क्रियाकलापों की समाप्ति तक लागू रहेंगे। इस एमओयू के कारण होने वाला कोई भी विवाद परस्पर विमर्श से सुलझाया जाएगा।

साक्षियों के रूप में, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने 11 नवम्बर, 2019 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू दो मूल प्रतियों में कार्यान्वित किया गया, जिसकी एक प्रति सीएसआईआर-सीएसआईओ और दूसरी प्रति एनआईटीएच के पास है।

11/11/2019.

(प्रो. आर. के. सिन्हा)

निदेशक

सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़

निदेशक
Director
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन
Central Scientific Instruments Organisation
सेक्टर 30, चण्डीगढ़-160 030
Sector 30, Chandigarh-160 030

रमन परती 11/11/2019

(डॉ. रमन परती)

डीन (रिसर्च एंड कन्सल्टेंसी

एन. आई. टी. हमीरपुर

अधिष्ठाता (शोध और परामर्श)
रा० प्रौ० सं० हमीरपुर (हि.प्र.)
Dean (Research & Consultancy)
NIT Hamirpur (H.P.) - 177005

साक्षी

1. 11/11/19

सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़

2. 11.11.19.

सुरेन्द्र सिंह सैनी

सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़

साक्षी

1. रोशन 11/11/2019

(प्रो० रोशन सहगल)

एन. आई. टी. ~~हमीरपुर~~ श्रीनगर

2. दिनेश रंजन 11.11.19

एन. आई. टी. ~~हमीरपुर~~

दिनेश

तिथि : 11.11.2019

स्थान : चण्डीगढ़